



2026: AHC: 43178-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3604/2026

श्रीमती सरिता एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिवाजी सिंह सिसोदिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता: देवी प्रसाद त्रिपाठी, मनीष कुमार मिश्रा, जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी ने आज न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने 'बार' के समक्ष बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

24 फरवरी, 2026

केएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।